मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड की पात्रता.

४. पात्र व्यक्तियों का पंजीयन.

५. आवासों और आवासीय भूखण्डों का आबंटन

६. जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन.

७. जिला स्तरीय आवास समिति के कर्तव्य.

८. प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.

९. नियम बनाने की शक्ति.

१०. निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति.

११. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१७.

मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य के पात्र निवासियों को किफायती मूल्य पर आवास या निःशुल्क आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने की गारंटी देने और उससे संसक्त तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम, २०१७ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

पभिाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''किफायती मूल्य'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया गया मूल्य;

(ख) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित, डिप्टी कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो आवास या आवासीय भू-खण्ड के लिए पात्र व्यक्तियों का पंजीयन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) ''जिला स्तरीय आवास समिति'' से अभिप्रेत है, धारा ६ के अधीन गठित जिला स्तरीय आवास समिति;

(घ) ''मध्यप्रदेश का मूल निवासी'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित मध्यप्रदेश का मूल निवासी है;

(ङ) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग का कोई परिवार;

(च) ''पात्र व्यक्ति'' से अभिप्रेत है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग का कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसका या तो स्वयं के नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से मध्यप्रदेश राज्य में कोई आवास या आवासीय भू-खण्ड नहीं है:

परन्तु सरकार की किसी योजना के अधीन स्वामी या पट्टाधारी के रूप में किसी प्रकार का आवास या भू-खण्ड रखने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होगा किन्तु यदि कोई हितग्राही केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी योजना में विनिर्दिष्ट पात्रता मापदण्ड के अनुसार पात्र है तो ऐसी अपात्रता लागू नहीं होगी;

(छ) ''परिवार'' से अभिप्रेत है, पति/पत्नी, उनके अवयस्क बच्चे और 25 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे;

परन्तु विधवा/तलाकशुदा पुत्री, बहन, पुत्रवधु, पिता, माता, ससुर/सास अथवा शारीरिक रूप से विकलांग भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, जो पूर्ण रूप से आश्रित हैं तथा एक ही छत के नीचे निवासरत हैं, परिवार का भाग माने जाएंगे;

(ज) ''आवास'' से अभिप्रेत है, आवासीय प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाए जाने योग्य २५ वर्ग मीटर से अन्यून प्रत्येक इकाई के अधिनिर्मित (सुपर बिल्टअप) (कंस्ट्रक्टेड) क्षेत्र की छत तथा शौचालय युक्त कोई एक मंजिली या बहुमंजिली अधोसंरचना;

(झ) ''क्रियान्वयन अभिकरण'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन आवास अथवा आवासीय भूखण्ड का निर्माण अथवा आबंटन करने के लिए सशक्त कोई अभिकरण और इसमें सम्मिलित होंगे, ग्रामीण अथवा नगरीय स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड;

(ञ) ''आवासीय भू-खण्ड'' से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम में न्यूनतम ४५ वर्ग मीटर तथा अन्य क्षेत्र में ६० वर्ग मीटर की भूमि का कोई भाग, जिस पर किसी आवास का संनिर्माण अनुज्ञेय होगा.

पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड की पात्रता.

३. (१) प्रत्येक पात्र व्यक्ति एक किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड के लिए पात्र होगा और राज्य सरकार समस्त पात्र व्यक्तियों को क्रमश: किफायती मूल्य पर आवास अथवा नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड की गारंटी देती है.

(२) कोई आवास या आवासीय भूखण्ड आबंटित करने की शक्ति क्रियान्वयन अभिकरण में निहित होगी तथा आवास संबंधी शिकायतों का निवारण जिला स्तरीय आवास समिति द्वारा किया जाएगा.

पात्र व्यक्तियों का पंजीयन.

४. (१) यदि कोई पात्र व्यक्ति, किफायती मूल्य पर कोई आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने के लिये किसी सर्वेक्षण में पात्र पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे पात्र व्यक्ति का विहित रीति में पंजीयन करेगा, जिसके पास अपनी पात्रता के प्रमाण में दस्तावेज हों.

(२) प्राधिकृत अधिकारी, पात्र व्यक्तियों का रजिस्टर संधारित करेगा और पंजीकृत हितग्राहियों की सूचना जिला स्तरीय आवास समिति को देगा.

आवासों और आवासीय भूखण्डों का आबंटन.

५. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय, आवासों और आवासीय भूखण्डों के आबंटन के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, लैंड पूलिंग को अंगीकृत कर सकेगा.

जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन.

६. राज्य सरकार, ऐसी रीति में तथा ऐसे सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन कर सकेगी.

जिला स्तरीय आवास समिति के कर्तव्य.

७. जिला स्तरीय आवास समिति, उसके क्षेत्राधिकार के अधीन पंजीकृत किए गए पात्र व्यक्तियों की जानकारी के आधार पर आवास की आवश्यकताओं का प्राक्कलन करेगी. जिला स्तरीय आवास समिति, उसके क्षेत्राधिकार के अधीन पंजीकृत पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड क्रमश: उपलब्ध करवाने के लिये क्रियान्वयन अभिकरण को निदेश दे सकेगी और यह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन भी करेगी जैसे कि राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं.

प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील

८. पात्र व्यक्ति के सम्मिलन अथवा अपवर्जन के प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला कलक्टर के समक्ष होगी जो साठ दिवस के भीतर ऐसी अपील का निराकरण करेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

९. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.

निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति.

१०. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे.

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास अथवा नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. अतएव, राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों के भीतर युक्तियुक्त विधायी तथा अन्य उपाय करके समस्त पात्र हितग्राहियों को किफायती मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिए आवास के विकास को बढ़ावा दे रही है. अतएव, यह विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के प्रत्येक पात्र हितग्राही को किफायती मूल्य पर आवास अथवा नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिये गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में लैंड पूलिंग तथा पुनर्विकास की नीति को बढ़ावा देने तथा अपनाने के लिये प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ मार्च, २०१७

माया सिंह
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य शासन को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड ४ (१) पात्र व्यक्तियों का पंजीयन किये जाने हेतु प्राधिकारी एवं पंजीयन की रीति विहित किये जाने,

५. आवासों और आवासीय भूखण्डों के आबंटन के प्रयोजन हेतु लैंड पूलिंग अंगीकृत किये जाने की रीति विहित किये जाने,

६. जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन किये जाने,

७. जिला स्तरीय आवास समिति को पंजीकृत पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड उपलब्ध करवाने के लिये क्रियान्वयन अभिकरण को निर्देश दिये जाने,

९. अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये,

१०. अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये आवश्यक निर्देश; तथा

११. अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत कठिनाइयों को दूर करने,

के संबंध में राज्य शासन द्वारा नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.